सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 31, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 22, 2023 *Sravana 31, Tuesday , Saka 1945- August 22, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 28, 2023

संख्या प. 2 (16) वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उनमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हक़दार है,

और चूंकि सरकारपूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार लेभिलेखन नहीं किया गया है,

और चूंकि, सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा निजी व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है , परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा किजिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है।

अतः अबराजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारावन बन्दोबस्त अधिकारी/ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि या उन पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जॉच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच, व अभिलेखन जहाँ तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8,10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार मेंराजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच एवं अभिलेखन होने तक एतद् द्वाराकथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को रक्षित वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और इसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थितवृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाया जाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या निर्माण प्रक्रिया या

साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

1. प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)
2. द्वितीय (अरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
शासन सचिव,वन विभाग,
शासन सचिवालय जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्स.	नाम वन खण्ड /नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				सीमा	वि वि
					नामग्राम / चक	ख न./मु.न.मय किला नंबर		रकबा		
						किला नंबर		बीघा – बिस्वा में		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	7 जी.डब्लू.एम ए –बी	बज्जू	बीकानेर	20-04 बीघा 5.109 हेक्टर	7 जी.डब्लू. एम ए – बी	182/27	15	0-07	उत्तर – काश्त कार मुरब्बा नं.- 181/62	
							16	0-08	दक्षिण- काश्त कार मुरब्बा नं.- 182/28	
							17	0-08	पूर्व – नहर	
							23	0-10	पश्चिम - काश्त कार मुरब्बा नं.- 181/55,	

									56,63, 62, 182/27, 35
							24	0-05	
							योग	1-18	
						181/62	5	0-03	
							6	0-13	
							7	0-01	
							14	0-12	
							15	0-02	
							17	0-07	
							18	0-06	
							22	0-02	
							23	0-12	
							24	0-01	
							योग	2-19	
						181/55	15	0-12	
							16	0-10	
							17	0-01	
							24	0-07	
							25	0-05	
							योग	1-15	
						181/63	1	0-05	
							2	0-11	
							3	0-03	
							10	0-10	
							योग	1-09	
						181/56	4	0-09	
							5	0-01	
							7	0-10	
							8	0-02	
							13	0-12	
							14	0-03	
							18	0-06	
							19	0-06	
							22	0-12	
							23	0-01	
							योग	3-02	
						182/41	6	0-09	
							14	0-03	
							15	0-10	
							16	0-01	
							17	0-12	
							23	0-06	
							24	0-03	
							योग	2-04	
						182/49	1	0-08	
							2	0-07	
							10	0-08	

							योग	1-03	
						182/42	2	0-03	
							3	0-09	
							8	0-03	
							9	0-09	
							11	0-10	
							12	0-06	
							20	0-04	
							योग	2-04	
						182/34	16	0-10	
							17	0-01	
							23	0-02	
							24	0-11	
							25	0-03	
							योग	1-07	
						182/35	2	0-07	
							3	0-03	
							9	0-09	
							10	0-16	
							11	0-08	
							योग	2-03	
						7 जी.डब्लू.एम ए-बी		20-04 बीघा	
						चक 7 जी.डब्लू.एम ए-बी योग=**20-04 बीघा**			
						महायोग 20-04 बीघा 5.109 हैक्टर			

दीपेन्द्र
क्षेत्रीय वन अधिकारी
80 RD CWB
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

वीरेन्द्र सिंह जोरा
उप वन संरक्षक
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

क्र.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Azadirachta indica, A juss	नीम
2	Acacia nilotica	बबल
3	Acaciajacquemontil	बोवली
4	Aerua tometosa	बई
5	CordiaMyxa, Linn	लसौडा
6	Cordia rothi	गंदी
7	Calligonum polygonouides	फोग
8	Calotropis procera R.Sr	आक
9	Cassia fistula, Linn	अमलतास
10	Capparis decidna	केर
11	Cenchrus cilliaris	धामन घास
12	Dalbergia sissoo, Roxb	शीशम
13	Encalyptus spp	सफेदा
14	Ficus religiosa Linn	पीपल
15	Ficus bengalensis Linn	बड
16	Lasiurus Sindicus	सेवण घास
17	Leptadenia Pyrotechnica	खींप
18	Morus alba Linn	शहतूत
19	Ricinus communis	अरण्ड
20	Prosopis spiicigera	खेजड़ा
21	Prosopis Cineraria	खेजड़ी
22	Prosopid Julyflora	विलायती खेजड़ा
23	Salvadora oligoides	पीलू
24	Salvadora Persica	जाल
25	Savvharum munja	मंजा घास
26	Acacia Tortilis	इजरायली बबल
27	Tecomella Undulaea	रोहिड़ा
28	Zizyphus jujube Lam	बैर
29	Zizyphus xylopyra willd	घोट
30	Zizyphus nummularia	झडबैर
31	Haloxylon salicornicum	लाणा

दीपेन्द्र
क्षेत्रीय वन अधिकारी
80 RD CWB
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

वीरेन्द्र सिंह जोरा
उप वन संरक्षक
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

परिशिष्ट (क)

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

वनखण्ड / चक 7 जी.डब्लयु.एम ए –बी

रेन्ज - इकाई 80 आर.डी.सी. डब्लयु.बी.

वनमण्डल- उप वन संरक्षक स्टेज-II बीकानेर

1. संलग्न प्रारूप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में सी.बी.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1996-97 करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 48 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बैर, खेजड़ी, टोर्टलिस का लगभग 48 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र कास्तकारो, अजाराजी, सडक का है चारों और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वन खण्डों में वांच्छित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशांओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

दीपेन्द्र
क्षेत्रीय वन अधिकारी
80 RD CWB
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

वीरेन्द्र सिंह जोरा
उप वन संरक्षक
इ.गाँ.न.प. स्टेज-II
बीकानेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।